।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 18.08.2021 को सम्पन्न हुई खुला बंदी शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की पालना में राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 18.08.2021 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री आलोक वशिष्ठ, सदस्य
   कार्यवाहक अति. महानिदेशक कारागार
   राजस्थान, जयपुर।
2. श्री कैलाश चन्द, सदस्य
   शासन उप सचिव,
   गृह (ग्रुप-12) विभाग
   राजस्थान, जयपुर।
3. श्री विक्रम सिंह, सदस्य
   महानिरीक्षक कारागार
   राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमती मोनिका अग्रवाल, सदस्य सचिव
   उप महानिरीक्षक कारागार
   रेंज, जयपुर।
5. श्री रमेश कुमार दहमीवाल, सदस्य
   सहायक निदेशक (परिवीक्षा)
   सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।

निम्न 04 बंदियों के खुला बंदी शिविर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये :-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक
सुखवीर उर्फ कुल्ली पुत्र प्रहलाद	के.का. बीकानेर	66/2021	29.07.2021

नाहरसिंह पुत्र भोमाराम	के.का. बीकानेर	678/2021	22.07.2021
अशोक कुमार पुत्र मूलचन्द	के.का. जयपुर	1375/2021	13.08.2021
रिंकेश अग्रवाल उर्फ रिंकी पुत्र शंकरलाल अग्रवाल	के.का. जयपुर	842/2021	28.07.2021

स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

1. सुखवीर उर्फ कुल्ली पुत्र प्रहलाद, के.का. बीकानेर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 18 वर्ष 10 माह 01 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 21.07.2020 को आयोजित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक में बंदी के प्रकरण पर विचार कर ''दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को अंतर्गत धारा 460/34, 302/34 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास की सजा अपनी मृत्यु तक काटेगा, के दण्ड से दण्डित होने से उसको खुला बंदी शिविर में भेजे जाने पर खुला शिविर से फरार होने की संभावना, प्रतिबंधित धारा में दण्डित होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं होने, अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं किये जाने से समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया था।

माननीय न्यायालय द्वारा डी.बी. क्रिमिनल रिट पिटीशन संख्या 506/2020 नरेन्द्र सिंह उर्फ मुकेश उर्फ भूरा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के निर्णय के तहत प्रकरण पर विचार किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर डी.बी. क्रिमिनल रिट पिटीशन संख्या 506/2020 नरेन्द्र सिंह उर्फ मुकेश उर्फ भूरा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.01.2021 के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका (एस.एल.पी.) में पारित निर्णय के अध्यधीन बंदी सुखवीर उर्फ कुल्ली पुत्र प्रहलाद को खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

1. नाहर सिंह पुत्र भोमाराम, के.का. बीकानेर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 06 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को प्रतिबंधित धारा 376 डी आई.पी. सी. में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, के कारण बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी नाहर सिंह पुत्र भोमाराम को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया जायेगा।

2. अशोक कुमार पुत्र मूलचन्द, के.का. जयपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 07 वर्ष 07 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी खुला शिविर समिति द्वारा विचार किये गये अंतिम बंदी द्वारा संदर्भित दिनांक तक 07 वर्ष 10 माह 22 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है तथा बंदी से वरिष्ठ कई बंदी अभी कारागृह में सजा भुगत रहे है।

बंदी खुला शिविर हेतु कारागृहों से प्राप्त प्रकरणों की दिनांक 31.12.2020 की स्थिति में तैयार की गई वरियता सूची में बंदी का नाम वरियता क्रमांक 638 पर है तथा वर्तमान में रिक्तियों के आधार पर क्रम संख्या 01 से 529 तक के खुला बंदी शिविर प्रकरणों का ही निस्तारण किया जा सका है।

राजस्थान कैदी कारावास कालीन अवकाश नियम 1972 के नियम 6 (क) के अंतर्गत खुला बंदी शिविर में पात्र बंदियों को वरिष्ठता क्रम में भेजे जाने का प्रावधान है।

अतः बंदी के खुला बंदी शिविर प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया तथा वरियता में नहीं आने के कारण समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी अशोक कुमार पुत्र मूलचन्द को वरियता में आने पर खुला बंदी शिविर में भेजे जाने पर विचार किया जायेगा, का निर्णय लिया गया।

3. रिंकेश अग्रवाल उर्फ रिंकी पुत्र शंकरलाल अग्रवाल, के.का.जयपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 06 वर्ष 07 माह 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी खुला शिविर हेतु कारागृहों से प्राप्त प्रकरणों की दिनांक 31.12.2020 की स्थिति में तैयार की गई। वरियता सूची में बंदी के उक्त तिथि को खुला बंदी शिविर हेतु निर्धारित पात्रता (06 वर्ष 08 माह) अर्जित नहीं होने के कारण बंदी का नाम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं है तथा खुला बंदी शिविर हेतु लम्बित कुल 1016 प्रकरणों में वर्तमान में रिक्तियों के आधार पर क्रम संख्या 01 से 529 तक के खुला बंदी शिविर प्रकरणों का ही निस्तारण किया जा सका है।

उक्त के अतिरिक्त राजस्थान कैदी कारावास कालीन अवकाश नियम 1972 के नियम 6 (क) के अंतर्गत खुला बंदी शिविर में पात्र बंदियों को वरिष्ठता क्रम में भेजे जाने का प्रावधान है।

अत: बंदी के खुला बंदी शिविर प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया तथा वरियता में नहीं आने के कारण समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी रिंकेश अग्रवाल उर्फ रिंकी पुत्र शंकरलाल अग्रवाल को वरियता में आने पर खुला बंदी शिविर में भेजे जाने पर विचार किया जायेगा, का निर्णय लिया गया।

सदस्य सहायक निदेशक (परिवीक्षा) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।	**सदस्य सचिव** उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर।	**सदस्य** महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।	**सदस्य** शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान जयपुर।	**सदस्य** कार्यवाहक अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर।	**अध्यक्ष** महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।